स्वच्छता ही सेवा 2024
14 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2024
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा – 201305 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 – 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276
ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा॰ सं॰ 10/06/2022-SEZ/ 7458 11/9/2025 दिनांक: 11th/09/2025

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा मे ,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, उधोग भवन, नई दिल्ली -110001 ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लाट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा ।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औधोगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण, प्लाट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा ।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुन्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: **नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 04/09/2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 04/09/2025 को पूर्वाह्न 11:30 आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है|

भवदीय,

11/09/25

(नोमान हाफिज)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र |
2. वैयक्तिक सहायक – संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र |
3. उप विकास आयुक्त (ग्रेटर नौएडा)|
4. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी |

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 04.09.2025 को सुबह 11:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

i. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
ii. श्री ए.के. भूषण, उप निदेशक, कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।
iii. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नोएडा
iv. श्री रणवीर सिंह, आयकर अधिकारी, नोएडा।

- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी (iv) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय सहायक विकास आयुक्त (iv) श्री सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त और (v) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

- प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 06.08.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 06.08.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 06.08.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. नई इकाई की स्थापना का प्रस्ताव:-

2.1: मेसर्स इन2आईटी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2.1.1 मेसर्स इनटूआईटी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर-टेकज़ोन-IV, प्लॉट संख्या 21, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के टावर-1 की 13वीं मंजिल पर 232.26 वर्ग मीटर (2500 वर्ग फुट) निर्मित क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इस इकाई का उद्देश्य सेवा गतिविधियाँ जैसे '*सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और सहायक सेवाएँ (CPC-83131)*' संचालित करना है। आवेदक ने पाँच वर्षों की अवधि में 22524.00 लाख रुपये का निर्यात, 22524.00 लाख रुपये का संचयी निवल विदेशी मुद्रा (NFE), स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं पर 60.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश और 56.00 लाख रुपये की स्वदेशी निवेश सेवाओं का प्रस्ताव रखा था। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स ट्रस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र सह-विकासक द्वारा उन्हें जारी किए गए स्थान के अनंतिम प्रस्ताव की प्रति दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत की है।

2.1.2. समिति को सूचित किया गया कि आवेदक कंपनी के प्रवर्तकों की उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में मेसर्स इनटूआईटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक इकाई विद्यमान है। उक्त इकाई ने 22.07.2019 से परिचालन प्रारंभ कर दिया था और स्वीकृति पत्र (LOA) 21.07.2024 तक वैध था। हालाँकि, उक्त इकाई ने न तो स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और न ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था। इकाई 2020-21 से वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) भी जमा नहीं कर रही है।

2.1.3 मेसर्स इनटूआईटी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोहित कश्यप अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वे हाल ही में कंपनी में शामिल हुए हैं और कंपनी की पृष्ठभूमि तथा प्रस्तावित इकाई की गतिविधियों के बारे में बताने में असमर्थता व्यक्त की।

2.1.4. अनुमोदन समिति ने मेसर्स इनटूआईटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा इकाई से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों और स्वीकृति पत्र (LOA) की शर्तों का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। समिति ने आवेदक कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि एक अधिकृत प्रतिनिधि, जो कंपनी की पृष्ठभूमि और प्रस्तावित नई विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना से अच्छी तरह वाकिफ हो, अनुमोदन समिति की बैठक में उपस्थित रहे।

3. स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं एवं निवेश सेवाओं के अत्यधिक उपयोग का नियमितीकरण:

3.1. मेसर्स एसपीआई टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.1.1. मेसर्स एसपीआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के उप-प्रबंधक-लेखा श्री एम.आर. सुरेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई द्वारा स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं एवं निवेश सेवाओं के अत्यधिक उपयोग के मामले में कानूनी राय प्राप्त कर ली गई है। यह राय दी गई है कि, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं हो सकता है और तथ्यों, इकाई अनुमोदन समिति के निर्देशों और अनुसमर्थन के औचित्य को विधिवत दर्ज करके मामले को नियमित किया जा सकता है।

3.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एसपीआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पाँच वर्षों के दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि अर्थात 20.06.2029 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।यह सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। अनुमोदन समिति ने पिछले पाँच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और निवेश सेवाओं के अत्यधिक उपयोग को भी नियमित किया।

मद संख्या 4. इकाई के क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव:

4.1: मेसर्स एसईडब्ल्यू.एआई प्राइवेट लिमिटेड।

4.1.1. श्री आदित्य कौशिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और श्री सुरेंद्र सिंह रावत, मेसर्स एसईडब्ल्यू. एआई प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एसईडब्ल्यू. एआई प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें *117232 वर्ग फुट क्षेत्रफल बढ़ाकर विस्तार करने का प्रस्ताव था (जिसमें प्रथम तल, विंग ए और बी, भवन संख्या बी2 पर 78612 वर्ग फुट, भूतल, विंग ए/2, भवन संख्या बी2 पर 22270 वर्ग फुट, भूतल, विंग बी/2, भवन संख्या बी2 पर 16350 वर्ग फुट शामिल हैं)* । यह गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट संख्या 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है।

मद संख्या 5. सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्तावः

5.1: मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासकर्ता

5.1.1 मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रमुख श्री श्याम सुंदर लक्ष्मीनारायण, प्रमुख प्रबंधक श्री रितेश जैन और लेखाकार श्री नवीन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रवेश नियंत्रण और निगरानी प्रणाली 'के लिए प्रस्तावित सामग्रियों को छोड़कर, अधिकांश प्रस्तावित सामग्री उनकी पिछली अनुमोदित सामग्री सूची में अनुमोदित थी, जिसकी वैधता मई, 2025 में समाप्त हो गई थी। इसलिए, उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखने के लिए सामग्रियों की एक नई सूची प्रस्तुत की थी।

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या ए-01 से ए-06, सेक्टर-85, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियाँ और उचित क्षमता वाले जल चैनल।	02	217.60
ii.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	719.60
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	2438.16
iv.	अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	11196.19
v.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	525.38

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
vi.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	25	89.40
		कुल	**15186.33**

5.1.3. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अनुमोदन एक वर्ष की अवधि के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता के औपचारिक अनुमोदन की वैधता तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। अनुमोदन समिति ने विकासकर्ता के प्रतिनिधि को पिछली अनुमोदित सामग्री सूची की तुलना में तत्काल सूची में प्रस्तावित अतिरिक्त सामग्रियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(नोमान हाफ़िज़)
उप विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त